

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़

(वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, रोक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर-492002)

—:: आदेश ::—

नवा रायपुर दिनांक 18 जून, 2026


कार्यालय उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक/आब./रा.उ.द./2026/404 दिनांक 16.06.2026 के प्रतिवेदन अनुसार :-

विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बौरीपारा, जिला-सरगुजा में आकस्मिक निरीक्षण दौरान प्रथम छद्मक्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराये जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत् विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव s/o ईश्वर प्रसाद यादव द्वारा 20 नग पाव गोल्डन गोवा व्हिस्की को शासन निर्धारित विक्रय दर 120 रुपये प्रति नग की दर से 2400/- रुपये के स्थान पर 2500/-रुपये में अर्थात् 100/-रुपये अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया। उक्त अनियमितता पाये जाने पर विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव s/o ईश्वर प्रसाद यादव के विरुद्ध छ.ग. आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. के पी-8 क्रमांक 79/2026 दिनांक 16/06/2026 अंतर्गत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

2/ उक्त प्रकरण श्री अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रभारी अंबिकापुर के प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उनके प्रभार क्षेत्र में इस प्रकार की गंभीर श्रेणी की अनियमितता का पाया जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।


3/ अतः श्री अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4/ निलंबन काल में श्री अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक का मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सरगुजा संभाग, सरगुजा (छ.ग.) रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।


18/6/2026
आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, सरगुजा संभाग, सरगुजा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।
6. कोषालय अधिकारी, जिला-कोषालय, जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री अनिल गुप्ता, आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला-सरगुजा (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. कार्यालय प्रति।


18/6/26
आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़